



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25062026-273817
CG-DL-W-25062026-273817

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, जून 14—जून 20, 2026, शनिवार/ज्येष्ठ 24—ज्येष्ठ 30, 1948
No. 10] NEW DELHI, JUNE 14—JUNE 20, 2026, SATURDAY/JYAISHTHA 24—JYAISHTHA 30, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

आ.अ. 76.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री मनोज कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस. के स्थान पर श्रीमती नीलम मीना, आई.ए.एस. (डब्ल्यू.बी.:1998) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्रीमती नीलम मीना, पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी, जो कि वे ऐसा पद भार ग्रहण करने से पहले धारण कर रही थी।

3. श्रीमती नीलम मीना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल के रूप में कार्य करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के प्रधान सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/WB/2026-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2026

O.N. 76.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of West Bengal hereby designates Smt. Neelam Meena, IAS, (WB:1998) as the Chief Electoral Officer for the State of West Bengal with effect from the date she takes over charge and until further orders in place of Shri Manoj Kumar Agarwal, IAS.

2. Smt. Neelam Meena, shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of West Bengal, which she may be holding before such assumption of office.

3. Smt. Neelam Meena, while functioning as the Chief Electoral Officer, West Bengal shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of West Bengal except that she should be designated Principal Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/WB/2026-P.Admn]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

आ.अ. 77.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग पुदुचेरी राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री ए.एस.पी.एस रवि प्रकाश, आईएस (एजीएमयूटी: 2011) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री ए.एस.पी.एस रवि प्रकाश, पुदुचेरी सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री ए.एस.पी.एस रवि प्रकाश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुदुचेरी के रूप में कार्य करते हुए पुदुचेरी सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/PUDU/2026-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

O.N. 77.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Puducherry hereby designates Shri A.S.P.S Ravi Prakash, IAS (AGMUT:2011) as the Chief Electoral Officer, Puducherry with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. Shri A.S.P.S Ravi Prakash shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Puducherry, which he may be holding before such assumption of office.
3. Shri A.S.P.S Ravi Prakash while functioning as the Chief Electoral Officer, Puducherry shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Puducherry except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/PUDU/2026-P.Admn]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

आ.अ. 78.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग केरल राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री डा. रतन यू केलकर, आई.ए.एस. के स्थान पर डा. ए कौसीगन, आई.ए.एस. (के.एल.:2009) को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए केरल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. डा. ए कौसीगन, केरल सरकार के अधीन सभी पद भार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पद भार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।
3. डा. ए कौसीगन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल के रूप में कार्य करते हुए केरल सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/KL/2026-P.Admn.]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

O.N. 78.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Kerala hereby designates Dr. A Kowsigan, IAS (KL: 2009) as the Chief Electoral Officer for the State of Kerala with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Dr. Rathan U Kelkar, IAS.

2. Dr. A Kowsigan shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Kerala, which he may be holding before such assumption of office.
3. Dr. A Kowsigan while functioning as the Chief Electoral Officer, Kerala shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Kerala except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/KL/2026-P.Admn]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

आ. अ. 79.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग मिजोरम राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, डा. लालरोजामा, आई. ए. एस. के स्थान पर श्रीमती गरिमा गुप्ता, आई. ए. एस. (एजीएमयूटी:2004) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मिजोरम राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्रीमती गरिमा गुप्ता, मिजोरम सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रही थी।

2. श्रीमती गरिमा गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मिजोरम के रूप में कार्य करते हुए मिजोरम सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/MZ/2025-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2026

O.N. 79.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Mizoram hereby designates Smt. Garima Gupta, IAS, (AGMUT:2004) as the Chief Electoral Officer for the State of Mizoram with effect from the date she takes over charge and until further orders in place of Dr. Lalrozama, IAS.

2. Smt. Garima Gupta shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Mizoram, which she may be holding before such assumption of office.

3. Smt. Garima Gupta while functioning as the Chief Electoral Officer, Mizoram shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Mizoram except that she should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/MZ/2025-P.Admn.]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.